IN THE COURT OF A.D.J. IIIrd JAMUI

S.T. 12/2021

Arising out of P.S. Case No. Khaira- 210/2018, GR- 1574A/2018

---

1. Budhan Manjhi @ Budha Mushar S/o Baleshwar Mushar
   Resident of Village-Rowzon, P.S.-Khaira, Dist.- Jamui

------------------- Petitioner.

Versus

The State of Bihar

------------------- Respondent.

S. No.	Date	Order	Remarks
1.	13-04-2021	काराधीन अभियुक्त बुधन मांझी उर्फ बुद्धा मुसहर की ओर से धारा 439 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया। संक्षेप में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्होंने इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है तथा संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 01.06.2018 को करीब 10 बजे रात्रि में 40—50 की संख्या में अपराधकर्मी रीतलाल यादव के घर में घुस कर रीतलाल यादव की हत्या अग्नेयास्त्र से कर दी तथा अन्य घरवालों को प्रताड़ित भी किया तथा धमकी दिया कि यदि किसी तरह का केस करोगे तो जान से मार देंगे एवं इसी डर से मृतक के घरवाले प्राथमिकी करने के लिए तैयार नहीं थे तथा मृतक के परिवार के लोगों ने आवेदक के विरूद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है एवं न ही अनुसंधानकर्ता द्वारा पहचान परेड कराई गई है तथा आवेदक बिना किसी कारण दिनांक 07.01.2020 से काराधीन है तथा आवेदक को पुलिस ने संदेह के आधार पर झूठा फंसाया है तथा आवेदक पर कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा सह अभियुक्त को जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुका है तथा आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 07.01.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा इस वाद में आवेदक के विरूद्ध आरोपित धारा 147, 148, 149, 458, 341, 342, 323, 324, 302, 506, 120बी भा0द0वि0 एवं धारा 27 शस्त्र अधि0 एवं धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यू0ए0पी0 अधि0 है तथा प्राथमिकी में आरोप है कि अभियुक्तगण ने मृतक रीतलाल यादव को गोली मारकर हत्या कर दी तथा मृतक के शव के आसपास से एस0एल0आर0 का तीन खाली खोखा एवं ए0के0 47 का दो खाली खोखा तथा सफेद कागज पर लाल स्याही से लिखा 40 पर्चा पुलिस ने बरामद किया तथा उक्त		

	<u>लगातार</u> 13.04.2021	बरामदगी के संबंध में प्राथमिकी के साथ जप्तिसूची भी संलग्न है तथा पूरक केस डायरी के कंडिका 3 में पुलिस अधीक्षक, जमुई ने अपने प्रतिवेदन 2 सह पर्यवेक्षण टिप्पणी में आवेदक एवं अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध घटना को सत्य पाया है तथा केस डायरी की कंडिका 8, 11 एवं 48 में साक्षियों ने अपने–अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा पूरक केस डायरी की कंडिका 40 में गिरफ्तार अभियुक्त अर्थात आवेदक ने कथन किया है कि वह नक्सली एरिया कमांडर है तथा दिनांक 01.06.18 की रात्रि में वह रीतलाल यादव की हत्या में शामिल था तथा इस घटना के अलावा भी कई घटना किया है तथा दिशेश यादव की हत्या में भी आवेदक शामिल था तथा पूरक केस डायरी की कंडिका 57 में आवेदक का आपराधिक इतिहास अंकित है जिसमें उसके विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 302, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, राजद्रोह आदि के केस पूर्व में दर्ज है तथा कंडिका 59 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता ने घटना को सत्य पाते हुए आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी में अंकित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 22/20 दिनांक 04.04.20 समर्पित कर दिया है। उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर उपलब्ध समाग्री के आधार पर मैं आवेदक/ अभियुक्त बुधन मांझी उर्फ बुद्धा मुसहर को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त नहीं समझता हूं, तदानुसार आवेदक/अभियुक्त बुधन मांझी उर्फ बुद्धा मुसहर का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। लेखापित -sd- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई।	